छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग
ea=ky;
egkunh Hkou] u;k jk;iqj

क्रमांक एफ 3-18/2012/(6)52 नया रायपुर दिनांक 16/01/2018

प्रति,

lapkyd]
ग्रामोद्योग
संचालनाल
य
हाथकरघा
प्रभाग,
jk;iqj]

fo"k; %& हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास योजना सहायता नियम 2017 स्वीकृतdjus ckcr~A
lanHkZ

राज्य शासन एतद् द्वारा हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास योजना सहायतानियम 2017 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नियम की प्रति संलग्न है।

mDr Lohd`fr foRr foHkkx ds dEI;wVj Øekad F&2017&48&00349 fnukad 21-03-2017 }kjk lgefr nh xbZ gSA

lgh

(एस.एल.आदिले)

mi lfpo
छत्तीसगढ़ शासन,
ग्रामोद्योग विभाग

क्रमांक एफ 3-18/2012/(6)52 u;k jk;iqj fnukad 16@01@2018 प्रतिलिपि,

1-महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर उनके पत्र कम्प्यूटर Øekad dEI;wVj Øekad F&2017&48&00349 fnukad 21-08-2017 ds lanHkZ esa lwpukFkZA

lgh

mi lfpo

छत्तीसगढ़ शासन,

ग्रामोद्योग विभाग

1 Samagra Hathkargha Niyam & Prarup/A

हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास योजना सहायता नियम 2017

प्रस्तावना &

छत्तीसगढ़ राज्य में हाथकरघा एक प्रमुख कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित है। राज्य में इसउद्योग में रोजगार की विपुल संभावना एवं बुनाई कला संस्कृति को अक्षुण बनाये रखने हेतु शासन द्वारा उद्योगके विकास हेतु अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य के अधिकांष बुनकर ग्रामीण क्षेत्रों मेंनिवासरत है। कई बुनकर ष्िाल्पियों के घर छोटे, कच्चे एवं खपरैल है, जिनमें पर्याप्त प्रकाष एवं हवा कीव्यवस्था नही है। अतः बुनकरों को उनके निवास स्थान पर पर्याप्त कार्यस्थान तथा आवास की सुविधा उपलब्धकराये जाने से वे कौषल एवं श्रम का बेहतर उपयोग कर सकेंगंे तथा स्वस्थ्य आवासीय वातावरण उपलब्ध होनेसे उनके स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः राज्य के कार्यषील हाथकरघा बुनकरों के लिएवर्कषेड-सह-आवास हेतु सहायता योजना संचालित है।

2. नियम &

यह नियम हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास हेतु सहायता योजना नियम 2017कहलायेंगें। इन नियमों के अंतर्गत हाथकरघा बुनकरों को हाथकरघा लगाने हेतु वर्कषेड निर्माण के लिए सहायताnh tkosxh rFkk fufeZr Hkou esa cqudj cqukbZ dk;Z ds lkFk&lkFk vius o vius ifjokj ds fuokl gsrq mi;skx dj ldsxkA

3- ifjHkk"kk,a &

इन नियमों के प्रयोजन के लिए -

1- बुनकर से तात्पर्य वे सभी कार्यषील बुनकर से है, जिनकी 50 प्रतिषत् आय हाथकरघा वस्त्र बुनाई से अर्जित होता है।

2 Samagra Hathkargha Niyam & Prarup/A

2. संस्था से तात्पर्य छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक बुनकर lgdkjh lfefr ls gSA

3. स्वसहायता समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है, जिनके सदस्य हाथकरघा वस्त्र बुनाई में संलग्न हो तथाइसके माध्यम से आजीविका चलाते हो।

4- प्रबंध समिति से तात्पर्य छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1961 में प्रावधानित प्रबंध से है।

4. योजना का उद्देश्य &

राज्य में हाथकरघा क्षेत्र में कार्यरत ऐसे बुनकरों को जो आवासहीन हो तथा जिनके पास करघे लगानेके लिए वर्कषेड न हो अथवा कार्यरत बुनकर का आवास बहुत ही छोटा, कच्चा व खपरैल हो, ऐसेबुनकरों को इस येाजना के अंतर्गत सहायता दी जावेगी। योजना के तहत् बुनकर समिति के कार्यरतआवासहीन, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले तथा अजजा/अजा वर्ग के बुनकरों कोसहायता दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी। योजना का उद्देष्य कार्यषील बुनकर को उनके निवासLFkku ij dk;ZLFky rFkk vkokl dh lqfo/kk miyC/k djkuk gSA

5- ik=rk &

हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास योजना के तहत् सहायता की पात्रता उन बुनकरों कोहोगी, जो निम्न शर्ते पूरी करता हो -

1- सहायता प्राप्त करने वाला बुनकर कार्यषील प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति अथवा स्वयं सहायता समूह का कम से कम दो वर्ष से नियमित कार्यषील सदस्य हो तथा जो वर्ष में कम से कम 180 दिन बुनाई कार्य करता हो।

2- बुनकर के पास स्वयं अथवा पत्नी/पति के नाम से निजी स्वामित्व की भूमि हो। यदि भूमि संयुक्त परिवार अथवा पिता अथवा माता के नाम से हो तो उनके स्वामित्व की भूमि पर हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास निर्माण हेतु सहमति हो।

3- cqudj lgdkjh lfefr eas dk;Zjr vkoklghu] xjhch js[kk ds uhps thou;kiu djus okys rFkk अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के बुनकरों को जिनका आवास बहुत ही छोटा, कच्चा और खपरैल हो, को सहायता दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

4- योजना के तहत् सहायता ऐसी बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से दी जावेगी, जिनमें हाथकरघा उद्योग की गतिविधिया॑ं तथा प्रबंध व्यवस्थित रूप से चल रहा हो तथा संस्था का रिकार्ड/ अभिलेख अद्यतन पूर्ण हो।

5- व्यक्तिगत रूप से विगत 05 वर्षो से कार्यरत हाथकरघा वस्त्र बुनाई करने वाले बुनकर को समीपस्थ cqudj lgdkjh lfefr ds ek/;e ls lgk;rk nh tkosxhA

6- योजनांतर्गत प्रदत्त सहायता

योजना के तहत् आवासहीन कार्यषील बुनकर सदस्य को हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-कर्मषाला सहायता योजना नियम के अंतर्गत एक इकाई के निर्माण हेतु 2.50 लाख की सहायता उपलब्धकराई जावेगी। उक्त सहायता एक आवेदक समिति को एक वर्ष में अधिकतम 20 बुनकरों के लिए दी जावेगी।

lgk;rk dh 'krsZ %&

(1) बुनकर के पास स्वयं अथवा पत्नी/पति के नाम से निजी स्वामित्व की भूमि हो। यदि भूमि संयुक्तपरिवार अथवा पिता/माता अथवा पैतृक नाम से हो तो उनके स्वामित्व की भूमि पर शासकीयसहायता से हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास निर्माण हेतु सहमति हो। यदि बुनकर

हितग्राहीभूमिहीन हो तथा योजना के तहत् आवास निर्माण हेतु शासकीय भूमि अथवा पंचायत द्वारा प्रदत्त भूमिमिली हो तो भी आबंटित भूमि का पट्टा संबंधित बुनकर हितग्राही के नाम का होना आवष्यक है।यदि भूखण्ड बुनकर सहकारी समिति के नाम से हो और समिति अपने कार्यरत बुनकर सदस्य कोहाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास योजना के तहत् निर्माण हेतु सहमत हो तो समिति का सहमतिपत्र आवष्यक होगा।

(2) आवेदक संस्था कार्यषील हो तथा संस्था का रिकार्ड/अभिलेख अद्यतन होना आवष्यक है।

4 Samagra Hathkargha Niyam & Prarup/A

(3) क्रियान्वयन बुनकर समिति, सहायता प्राप्त प्रत्येक बुनकर हितग्राही से शपथ पत्र निष्पादित करायेगी,

जिसमें इस तथ्य का उल्लेख होगा कि निर्मित हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास का उपयोग

हाथकरघा स्थापना एवं संचालन हेतु तथा अपने व अपने परिवार के आवास के लिए उपयोग करेगा

तथा उसे अन्य व्यक्ति को विक्रय अथवा किराये पर नही देगा। उल्लघंन किया जाना पाये जाने पर

स्वीकृत सहायता की पूरी राष्ि मय ब्याज के शासन के पक्ष में जमा करना होगा तथा संबंधित के

fo:) oS/kkfud dk;Zokgh dh tk ldrh gSA

(4) स्वीकृत सहायता राष्ि संस्था/जिला हाथकरघा अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा रहेगी तथा तीनकिष्तों में संबंधित बुनकर हितग्राही के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस.के माध्यम से विमुक्त की जावेगी।प्रथम किष्त के रूप में 40 प्रतिषत राष्ि विमुक्ति के उपरांत निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसारक्रमषः द्वितीय एवं तृतीय किष्त के रूप में 30-30 प्रतिषत के रूप में विमुक्त की जावेगी।

(5) बुनकर द्वारा सहायता प्राप्ति के उपरांत किसी अन्य संस्था की सदस्यता ग्रहण करता है, अथवा स्वतंत्ररूप से बुनाई कार्य करता है तो इसकी जानकारी क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जिला हाथकरघा कार्यालयको दी जावेगी।

(6) सहायता स्वीकृति के उपरान्त यदि लाभान्वित बुनकर किसी कारण वष सहायता से वंचित होता है तोउसके स्थान पर लाभान्वित किये जाने वाले नवीन बुनकर के नाम का अनुमोदन उपरोक्त कमेटी कीअनुषंसा पर संबंधित जिला हाथकरघा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालक द्वाराfn;k tk ldsxkA

(7) योजना के तहत् ऐसे बुनकर सदस्य सहायता के प्राप्त होंगें, जिन्हें इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्रीआवास योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् सहायता प्राप्त न हुई हो।

(8) वर्कषेड-सह-आवास योजना के तहत् स्वीकृत सहायता राष्ि‍ा से न्यूनतम 260 वर्गफीट का पक्काआर.सी.सी.रूफ भवन निर्मित करना आवष्यक होगा, जिसमें वर्कषेड, निवास कमरा, किचन, टायलेटनिर्मित करना होगा। निर्माण की लागत स्वीकृत सहायता राष्ि‍ा से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्तव्यय संबंधित बुनकर हितग्राही को स्वयं वहन करना होगा।

(9) योजना के तहत् बुनकरों के चयन के लिये निम्न चयन कमेटी होगी:-

क. संबंधित समिति का अध्यक्ष।

ख. संचालक मंडल के दो सदस्य।

ग. संचालक मंडल द्वारा समिति के कार्यरत बुनकर सदस्यों में से चुना गया एक बुनकर सदस्य।

?k- mi@lgk;d lapkyd] ftyk gkFkdj?kk dk;kZy;A

5 Samagra Hathkargha Niyam & Prarup/A

(10) योजना के तहत् निर्माण पूर्ण कराने का दायित्व आवेदक संस्था का होगा।

(11) वर्कषेड-सह-आवास निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त एक माह के अवधि में आवेदक संस्था को बुनकरआवास का मूल्यांकन लो.नि.वि./ग्रा.यां. सेवा के उप अभियंता से कार्यपूर्णतः का मूल्यांकन कराकरउपयोगिता प्रमाण पत्र जिला हाथकरघा कार्यालय के माध्यम से संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा कोप्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(12) वर्कषेड-सह-आवास योजनान्तर्गत सहायता हेतु ग्रामोद्योग विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय रायपुर कापत्र क्रमंाक एफ 3-18/2016/(6)52 नया रायपुर दिनांक 30.08.2017 में वित्त विभाग द्वारादिये गये

निर्देषानुसार संबंधित हितग्राही का आधार कार्ड अनिवार्य होगा तथा प्रधानमंत्री आवासयोजना पात्रता सूची से डि-डुप्लीकेट करने के उपरांत ही सहायता स्वीकृति की पात्रता होगी।

7- Lohd`fr dh lhek &

हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास योजना के तहत् वित्तीय सहायता पात्र बुनकर सहकारीसमिति को एक वर्ष में अधिकतम 20 बुनकरों के लिए स्वीकृत की जा सकेगी।

8- fØ;kUo;u gsrq le; lhek &

योजना के क्रियान्वयन एजेंसी को राष्ि‍ा प्राप्ति के एक वर्ष के अंदर उपयोग करना अनिवार्यहोगा अन्यथा राष्ि‍ा चालान द्वारा शासन के पक्ष में कोषालय में जमा कराना आवष्यक होगा।

9- lgk;rk dk Lo:i &

हाथकरघा बुनकर वर्कषेड-सह-आवास योजना राज्य आयोजना के अंतर्गत होगी तथा सहायता

राष्ि‍ा राज्य शासन द्वारा लाभान्वित संस्था/बुनकर को अनुदान के रूप में देय होगी।

10. प्रोजेक्ट तैयार करना -

जिले में कार्यरत बुनकर सहकारी समिति, योजना के नियम/षर्तों के अनुरूप बुनकरों का चयन

कर प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार कर जिला हाथकरघा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला हाथकरघा कार्यालय द्वारा

प्रस्ताव का नियमानुसार परीक्षण कर स्थल निरीक्षण व औचित्य टीप तथा अनुषंसा सहित संचालक ग्रामोद्योगहाथकरघा को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जावेगी।

11. योजना की स्वीकृति -

उक्त योजनांतर्गत प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव पर सहायता राष्ि‍ा की स्वीकृति का पूर्ण अधिकारसंचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा को होगा। संयुक्त संचालक हाथकरघा अथवा उससे अनिम्न श्रेणी के हाथकरघाअधिकारी को प्रति प्रस्ताव अधिकतम 25.00 लाख रू. स्वीकृति के अधिकार होंगें।

12. योजना की मानिटरिंग -

आवास-सह-कर्मषाला योजनांतर्गत स्वीकृत सहायता अनुसार योजना क्रियान्वयन की मानिटरिंगहेतु संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जावेगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे:-

01. संचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा & v/;{k
02. संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा & lnL;
03. संचालक द्वारा नामांकित राज्य के दो बुनकर सहकारी एक-एक कार्यरत बुनकर प्रतिनिधि & lnL;

13. योजना में संषोधन -

आवास-सह-कर्मषाला योजना के किसी नियमों में आवष्यकतानुसार संषोधन, परिवर्तन,परिवर्धन आदि के अधिकार राज्य शासन के प्रषासकीय विभाग में निहित होंगें, जो सहायता प्राप्त संस्था केलिए बंधनकारी होंगे।

----

7 Samagra Hathkargha Niyam & Prarup/A

हाथकरघा बुनकर वर्कषेड सह आवास योजनान्तर्गr

foRrh; lgk;rk gsrq vkosnu i=

1- cqudj lgdkjh lfefr dk uke % ---------------------------------------

,oa i= O;ogkj dk irk % ---------------------------------------

----

2- iath;u Øekad ,oa fnukad % -----------------------------------

----

3- lapkyd e.My dk fuokZpu frfFk % -------------------------

----

4. वर्तमान संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंधक का नाम: -------------------------

----

1- v/;{k % ---

----

2. प्रबंधक % ---

5- lfefr dh ewyHkwr tkudkjh %&

Ø-	fooj.k	vuq- tkfr	vuq- tutkfr	fiN M+k	vYi la[;d	lkek U;	sum
1	2	3	4	5	6	7	8
5-	5-1 dqy lnL; la[;k						
5-	5-2 efgyk lnL;						
5-	5.3 स्थापित करघे						
5- 4	5.4 कार्यशील करघे v- lfefr ds ek/;e ls c- la?k ds						
5-	5.5 बंद करघों की						

6- uxn lk[k lhek laca/kh tkudkjh %&

6-1 cSad dk uke --- 6.2 नगद साख सीमा स्वीकृत होने का वर्ष: .... राशि .... 6-3 lk[k lhek [kkrs esa tek dh xbZ jkf'k % -- --- 6-4 orZeku esa dkykrhr jkf'k % -- Øe

7. उत्पादन एवं बिक्री की जानकारी:- (विगत तीन वर्षो का)

o"kZ	oL= mRiknu jkf'k	fcØh dh jkf'k
1	2	3

8. लाभ, हानि की जानकारी (विगत तीन वर्षो का):- (वित्तीय पत्रक संलग्न करें)

o"kZ	व्यापारिक लाभ ($)/हानि (-)	लाभ ($)/हानि (-)	संचित लाभ ($)/हानि (-)
1	2	3	4

9- vads{k.k dh --

10. हाथकरघा बुनकर वर्कषेड सह आवास योजनार्न्तगत पूर्व में दी गई सहायता का विवरणः- 10-1 Lohd`r o"kZ ------------------------------ jkf'k ------------------------------------ 10.2 उपयोग की गई राशि .... 10.3 कोषालय में जमा की गई राशि .... v- pkyku dzekad -------------- fnuakd -------------- jkf'k --------------------

c- pkyku dzekad -------------- fnuakd -------------- jkf'k -------------------- l- pkyku dzekad -------------- fnuakd -------------- jkf'k -------------------- 10.4 उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का पत्र क्रमांक .... व दिनांक .....

11. संस्था का ठहराव (संलग्न करें)

....

12. स्थल निरीक्षण रिर्पोट एवं औचित्य टीप) पृथक से संलग्न करें

....

Øe'k%

13. हाथकरघा बुनकर वर्कषेड सह आवास - अंको में

....

योजनान्तग

Ø-	cqudj la[;k	jkf'k	fjekdZ
1	2	3	4
1			
	योग -		

नोट - 1.आवासहीन एवं बी.पी.एल. बुनकरों को प्राथमिकता देंवें। राषनकार्ड/BPL कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें। 2. आवेदित बुनकरों की हस्ताक्षर युक्त सूची संलग्न प्रपत्र 1 के अनुसार।

3. स्वीकृत सहायता से निर्माण की लागत अधिक आने पर अधिक राष्िा हितग्राही द्वारा स्वंय वहन करने बाबत् हितग्राही एवं समिति का हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र।

4. शासकीय निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार प्राक्कलन शौचालय सहित कर संलग्न करें।

5- बुनकर हितग्राही के पास स्वयं की भूमि उपलब्धता संबधी प्रमाण पटवारी हलका/सरपंच का प्रमाण पत्र तथा भू-

अधिकार पत्रक, नक्षा, खसरा नं.आदि जिला हाथकरघा अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति layXu djsaA

6. बुनकर वर्कषेड सह आवास निर्माण पष्चात् उपयंत्री से मूल्यांकन रिर्पोट प्रस्तुत करना होगा।

7. अन्य किसी शासकीय योजनान्तर्गत हितग्राही को आवास निर्माण हेतु सहायता प्राप्त नही होने बाबत् ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

नोट:- बुनकर वर्कषेड सह आवास योजनान्तर्गत सहायता हेतु हितग्राही की सूची का प्रारूप (पृथक से संलग्न करें)

प्रपत्र-1 (क)

Ø-	Ø- हितग्राहियों @firk	efgyk @	me	tkfr	oxZ	irk	vk/kkj u-	**BPL** Øekad	O;olk;	D;k cqudj orZeku	xro"kZ cqukb	cqudj dk orZeku Hkou dPpk@i	lgk;rk eka	gLr kj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1

mi@lgk;d lapkyd

v/;{k gLRkk{ki Øe'k% --4

&4&

---cqudj lgdkjh lfefr e;kZfnr] - ----------------------

// घोषणा पत्र //

1. प्रमाण्िात किया जाता है कि हाथकरघा बुनकर वर्कषेड सह आवास योजनार्न्तगत सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन

i= esa nh xbZ leLr tkudkjh lgh gSA

2. हाथकरघा बुनकर वर्कषेड सह आवास योजनार्न्तगत सहायता राष्िा का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन स्वीकृत वर्ष

ds 01 o"kZ ds vanj vfuok;Z :i ls dh tkosxhA vU;Fkk laLFkk }kjk ewy jkf'k e; C;kt 'kkldh;

चालान द्वारा कोषालय में जमा कराई जावेगी।

3. योजनार्न्तगत स्वीकृत राशि का उपयोग संबंधित मद में नियमानुसार किया जावेगा। किसी प्रकार दुरूपयोग पाये tkus ij lgk;rk jkf'k ,deq'r e; C;kt olwyh gsrq gekjh laLFkk lger gSA

gLrk{kj ,oa lhy

v/;{k------------- cqudj lgdkjh lfefr e;kZfnr--------- जिला हाथकरघा कार्यालय .... का अनुशंसा प्रमाण पत्र ------------------------ cqudj lgdkjh lfefr e;kZ- ------------ --------------- ftyk --... द्वारा हाथकरघा बुनकर वर्कषेड सह आवास योजनार्न्तगत .... हाथकरघा बुनकरों के लिए मांग की गई। वित्तीय सहायता प्रस्ताव के संबंध में आवेदक हितग्राहियों एवंसंस्था का स्थल निरीक्षक किया गया। परिक्षण में आवेदित संबंधित हितग्राही सहायता हेतु पात्र पाये गयें।फलस्वरूप उक्त हितग्राहियों के लिए बुनकर वर्कषेड सह आवास योजनान्तर्गत राष्ि ा रू. ....मात्रfoRrh; lgk;rk dh Lohd`fr dh vuq'kalk dh tkrh gSA

gLrk{kj ,oa lhy
mi@lgk;d lapkyd
gkFkdi?kk Øe'k%

&5&

(प्रस्ताव के साथ सादा पेपर में संलग्न करें।) ifjf

यह शपथ-पत्र आज दिनांक .... को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओरसे संचालक ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा छत्तीसगढ़ (जिन्हें स्वीकृतकर्ता कहा गया है) इस संबंध में उसकेउत्तराधिकारी जो पद पर हो सम्मिलित करते हुए प्रथम पक्ष तथा ध्दितीय पक्ष ....------------ cqudj lgdkjh lfefr e;kZfnr ----------------------------------- ftyk -- ftudk iath;u Øekad ------------------ fnukad ------------------------

है और जो अपने सचिव/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष के मार्फत कार्य कर रही है, जिसे इसके पश्चात संस्था/इकाईdgk x;k gSA

चूंकि संस्था/इकाई के आवेदन पत्र के आधार पर संस्था को उनके बुनकर सदस्यो द्वारा हाथकरघा वस्त्रउत्पादन के प्रयोजन हेतु इसमें इसके पश्चात दिये गये योजना नियम और शर्तो पर रूपया .... अक्षरी.. रूपये मात्र हाथकरघा बुनकर वर्कषेडसह आवास योजनार्न्तगत वित्तीय सहायता लेने के लिए सहमत है। अतएव अब यह अनुबंध किया जाता है, कि%&

1- संस्था/इकाई हाथकरघा बुनकर वर्कषेड सह आवास योजनार्न्तगत कुल बुनकर हितग्राही .... रूपये .. --------

1- संस्था/इकाई द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता राशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गई है। नियमानुसार उसी प्रयोजन

2-संस्था/इकाई ऐसे उद्देश्य तथा निर्देशों का पालन करेगी जो संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा द्वारा समय-

Øe'k%

4- उक्त योजनान्तर्गत राष्ि‍ा के दुरूपयोग की स्थिति में दी गई सहायता रकम भू राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

5- उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति में संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा का निर्णय

fnukad -------------------------------

प्रथम पक्ष

lk{kh dk uke o gLrk{kj

mi@lgk;d lapkyd 13

1-

gkFkdj

?kk N-x- jk;iqj 2-

3-

प्रथम i{kdkj

uke ,oa irk

सचिव/प्रभारी

अधिकारी/संस्था अध्यक्ष ----------------------cqudj

lgdkjh lfefr e;kZfnr ----------------------ftyk ----

------------ N-x-

Øe'k% --7

&7&

नोट - शपथ-पत्र सादा पेपर पर होगा।

परिष्िाष्ट- दो

'kiFk i=

छत्तीसगढ़ राज्य शासन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत बुनकर हाथकरघा वर्कषेड सहआवास योजनान्तर्गत निर्माण हेतु सहायता नियम 2017 के अंतर्गत राज्य शासन आयुक्त/संचालक हाथकरघा केKkiu Øekad --------- fnukad ---------- ls -------------------------- cqudj lgdkjh lfefr e;kZfnr ---... जिला .... (पंजीयन क्रमांक ....) सहायता राष्िा रूपये .... (अक्षरी रूपये ....)स्वीकृत किये है।

हमारी संस्था इस संबंध में शासन द्वारा स्वीकृत नियमों, निर्धारित शर्तो एवं संचालकहाथकरघा द्वारा इस बाबत् समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देषों का पूर्ण रूप से पालन करेगी।

हमारी संस्था यह भी मान्य करती है कि यदि किन्ही शर्तो का उल्लघंन हुआ तो बुनकरवर्क शेड सह आवास की प्राप्त संपूर्ण शासकीय सहायता राष्िा की वापसी संस्था की अन्य संपत्ति से भू-राजस्वके अवषेष के रूप में वसूल की जावेगी।

यह शपथ आज दिनांक .... को .... बुनकरसहकारी समिति संस्था मर्यादित

.... जिला ....की ओर सेfu"ikfnr fd;k x;k gSA

lk{;

1-(नाम व पूरा 1- v/;{k
(नाम व संस्था की मुद्रा)

2-(नाम व पूरा पता) 2-
lfpo (नाम व
संस्था की मुद्रा)

3. सदस्य
प्रबंध
समिति
(नाम व
संस्था की
मुद्रा)

Øe'k% --8

&8&

'kiFk i=

बुनकर द्वा

(तीन प्रतियों में भराया जावे) (सादे पेपरपर) एक प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्नकिया जाय। एक प्रति जिला हाथकरघाअधिकारी		bl LFkku fgrxzkgh dk साईज का जिलाहाथकरघा

(बुनकर वर्कषेड सह-आवास योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु चयन किये गये हितग्राहियों द्वारा भरा जावे)eS ---------------------- vkRet ---------------------------- mez------- tkfr ------------- oxZ -----------------fuoklh xzke -------------------------------- rglhy -------------------------ftyk ------------................. को ग्रामोद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित बुनकर वर्कषेड सह-आवास योजनान्तर्गत

सहायता प्राप्त होगा, उसका उपयोग मेरे द्वारा योजना स्वीकृत नियम एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार किया जावेगा।योजनान्तर्गत वर्कषेड सह-

आवास निर्माण के पश्चात् संस्था द्वारा परिष्िाष्ट-एक पर दिये अनुबंध अनुसार मेरे द्वाराहाथकरघा वस्त्र उत्पादन प्रयोजन हेतु किया जावेगा। यदि मेरे/परिवार द्वारा 10 वर्ष पूर्व हाथकरघा वस्त्र उत्पादनबंद करके अन्य व्यवसाय करेगा तो योजनान्तर्गत स्वीकृत सम्पूर्ण सहायता की राष्िा हितग्राही से भू-राजस्व केअवषेष के रूप में वसूली की जावेगी। एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरधा के साथ यह'kiFk i= fu"ikfnr djrk@djrh gwaA

यदि उपरोक्त वणर््िात बातों के उल्लंघन का दोषी पाया जाऊं तो उप/सहायक संचालक, जिला हाथकरघाकार्यालय .... को अधिकार होगा कि वह मुझे बुनकर वर्कषेड सह-आवास योजनान्तर्गतLohd`r lgk;rk jkf'k ,deq'r olwy dj ldsxkA

उपरोक्त शपथ पत्र मेरे द्वारा स्वेच्छा से आज दिनांक .... को निम्नांकित गवाहों केle{k fu"ikfnr fd;k x;kA

lk{kh

1 gLRkk{kj
uke
firk dk uke
irk

2 gLRkk{kj
uke
firk dk uke
irk

gLrk{kj
uke
firk dk uke
irk

Øe'k% -

&9&

(जिला कार्यालय हेतु)

ifjf'k"V ^^pkj**

djkj foys[k

यह करार आज दिनांक .... माह .... सन् .... को प्रथम पक्ष

राज्यपाल छत्तीसगढ़ जिनकी ओर से संयुक्त संचालक हाथकरघा छत्तीसगढ़ कार्य कर रहे है। (इस विलेख में उन्हें

राज्यपाल संबोधित किया गया है एवं उसमें आवष्यकतानुसार उनके कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित है।) तथा

द्वितीय पक्ष में अनुदान प्राप्तकर्ता .... सहकारी समिति मर्यादित ....

जिला (.........................) पंजीयन क्रमांक ....दिनांक .... है। (जो कि छत्तीसगढ़

सहकारी समितियां अधिनियम सन् 1960 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है) जिनको आगे संस्था संबोधित किया गया

gSA pwafd laLFkk ds vkosnu ij jkT; 'kklu vFkok lapkyd gkFkdj?kk vFkok la;qDr lapkyd gkFkdj?kk }kjk

संस्था को उनके बुनकर सदस्यो की उद्योग के विकास के लिए "हाथकरघा बुनकर वर्कषेड सह-आवास योजना

नियम 2017 जिन्हें आगे नियम संबोधित किया गया है) के अंतर्गत अपने ज्ञापन क्रमांक ....दिनंाक.....

16   Samagra Hathkargha Niyam & Prarup/A

..........द्वारा ....बुनकर वर्कषेड सह-आवास निर्माण हेतु राष्िा रूपये ....(अक्षरों में रूपये

....) अनुदान संस्था के माध्यम से प्रदानकरना स्वीकार किया है। अतएव अब यह करार इस बात की साक्षी है और एतद् द्वारा यह करार किया गया हैfd &

1-प्राप्तकर्ता को अनुदान रूपये .... (अक्षरों में रूपये ....) प्रदानकिये गये है। अनुदान प्राप्तकर्ता हाथकरघा बुनकर वर्कषेड सह आवास स्थापना करने में संपूर्ण अनुदानराष्िा का उपयोग एक वर्ष की समयावधि में करेगा/करेगी।

--------------------------------------- LFkkiuk ds mijakr cqudj mls foØ;] gLrkarj.k ;k vU; प्रकार के उसके स्वामित्व में परिवर्तन नही करेगी। बिना संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) छत्तीसगढ़ कीस्वीकृति/अनुमति के बिना उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नही करेगा/करेगी। उसे या उसका कोई भागलीज पर, किराये पर या

अन्य प्रकार किसी को उपयेाग करने हेतु अनुमति नही देगा/देगी। उसे केवलहाथकरघा वस्त्र उत्पादन उद्योग के उपयेाग हेतु की जावेगा। उसकी सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु समुचितसावधानी बरतेगी। इस संबंध में संचालक हाथकरघा के निर्देषों का पूर्ण पालन करेगा/करेगी।

Øe’k% --10

&10&

3. इस नियम के समस्त प्रावधानों एवं उसमें समय-समय पर किये जाने वाले संषोधन, परिवर्तन तथा उपरोक्त वणर्ि्ात समस्त शर्ताे का पूर्णरूपेण पालन करेगा/करेगी।

4. नियम तथा उपरोक्त वणर्ि्ात शर्तो का पालन न करने पर समस्त अनुदान राष्ि्ा का दुरूपयोग किया जानासमझा जावेगा एवं समस्त अनुदान की राष्ि्ा एक मुष्त वसूली योग्य होगी । इस करार के अनुक्रमांक 2अंतर्गत सहायता राष्ि्ा की वसूली भू राजस्व के अवषेष की भांति की जा सकेगी।

5. नियम व उपरोक्त वणर्ि्ात शर्तो के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

gLrk{kj ,oa

eqnzk

uke

la;qDr lapkyd

1 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता) (राज्यपाल की ओर से) दिनंाक17 Samagra Hathkargha Niyam & Prarup/A

2 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता)

gLrk{kj

v/;{k vFkok lfpo

,oa eqnzk

1 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता)2 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता)

cqudj lgdkjh laLFkk

(संस्था की ओर से)

fnuakd

बुनकर वर्कषेड सह-आवास योजनान्तर्गत सहायता हेतु चेक लिस्ट

Ø-	vfHkys[k dk uke	layXu vfHkys [k	प्रस्ताव पृष्ठØekad dzk.1s
1-	1- foRrh; lgk;rk gsrq vkosnu i=		
2-	2. विगत 03 वर्षो की अंकेक्ष्िात वित्तीय पत्रक		
3-	3. संस्था संचालक मंडल बैठक का प्रस्ताव ठहराव		
4-	4. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन रिर्पोट		
5-	5. सहायता स्वीकृति हेतु औचित्य टीप		
6-	6. जिला हाथकरघा कार्यालय का अनुषंसा प्रमाण-पत्र		

7-	7. बुनकर वर्कषेड सह-आवास हेतु परिष्िाष्ट-1,2,3 तथा 4 पंे जानकारी		
8-	8- fgrxzkgh ds ikl Hkwfe miyC/k uD'kk [kljk dh tkudkjh		
9-	9. शासकीय निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार निर्माण प्राक्कलन		
10-	10- fgrxzkgh cqudj ds ikl Hkwfe miyC/krk laca/kh lfefr@ljiap dk प्रमाण पत्र		
11-	11. बुनकर वर्कषेड सह-आवास हेतु चयनित हितग्राहियों की सूची		
12-	12. संस्था का संयुक्त सेंविंग बैंक खाता का वेन्डर रिर्पोट		

mi@lgk;d lapkyd
ftyk gkFkdj?kk
dk;kZy;
ftyk ------------------

हाथकरघा बुनकर वर्डषेड सह आवास योजना अंतर्गत सहायता हेतुcqudj

fgrxzkgh dk vkosnu i=

1-	1- vkosnd cqudj dk uke	%	---------------------------------
2-	2- vkosnd ds firk@ifr dk uke	%	---------------------------------
3-	3- vkosnu dk mez-------------tkfr--------		oxZ-----------------------------
4-	4- vkosnd dk fuokl irk	%	---------------------------------
			---------------------------------

5-	5. क्या आवेदक बी.पी.एल. कार्य धारी है तो बी.पी.एल.	% &	--------------------------------- --------
6-	6- vkosnd dk cSad A/C ua- rFkk cSad	%	---------------------------------

			---------------------------------
7-	7- vkosnd dk Loa; dk vkokl gS ;k ugha@;fn स्वंय का आवास है या घास का छज्जा है औरEkdku fdrus oxZ QhV esa fufeZr	% &	--------------------------------- --------------------------------- ---------------
8-	8. यदि आवेदक का मकान पक्का है तो कितने वर्ग QhV esa fufeZr	% &	--------------------------------- --------
9-	9- D;k vkosnd orZeku esa gkFkdj?kk ij cqukbZ dj रहा है। यदि हां तो आवेदक की गतवर्ष हाथकरघाoL= cqukbZ ls	% &	--------------------------------- --------
10-	10. आवेदक के पास बुनाई के अतिरिक्त आय का कोईऔर साधन है यदि हां तो संक्षि्ाप्त वितरण देते हुएokf"kZd vk;	% &	--------------------------------- --------

11-	11. हाथकरघा बुनकर वर्कषेड सह आवास निर्माण हेतुvkosnd ds ikl Loa; vFkok ikfjr ds uke ls निजी स्वामित्व की भूमि है तो किसके नाम पर हैऔर कितना भू-खण्ड है। नक्षा/खसरा की छायाप्रतिlayXu	% &	---
12-	12- ;fn Hkwfe la;qDr ifjokl vFkok firk vFkok ekrk के नाम से हो तो उनके स्वामित्व की भूमि पर हाथकरघाबुनकर वर्कषेड सह आवास निर्माण हेतु सहमत है यदिहो तो	% &	
13-	क्या आवेदक कम से कम दो वर्ष से बुनकर समिति कानियमित कार्यषील सदस्य है जो वर्ष में कम से कम 180	% &	gka@ugh

	fnu cqukbZ dk;Z fd;k gSA		
14	सहायता राष्ि ा स निर्माण लागत अधिक आन पर हितग्राहीLoa; ogu djus gsrq lger gS ;k ugha	% &	gka@ugh
15	D;k cudj dk bafnjk vkokl ;ktuk eq[;ea=h vkokl योजना, अटल योजनान्तर्गत सहायता दी गई है।	% &	gka@ugh

<u>आवेदक का पत्र (सारे कागज में)</u>

eS--------------------------------vkRet -----------------------

mez---------------

tkfr-------------oxZ------------------------xzke---------------------

rglhy---------------------ftyk-------------dk fuoklh gaqA esjs }kjk vkosnu i= esa nh xbZ tkudkjh lR; ,oa lgha gSA

<u>vkosnd dk 'kiFk&i=</u>

मैं बुनकर वर्कषेड हेतु सहायता से निर्मित बुनकर वर्कषेड सह आवास कर उपयोगहाथकरघा स्थापना एवं संचालन हेतु तथा अपने व अपने परिवार के आवास के लिए उपयोग करूंगा तथा उसअन्य व्यक्ति को विक्रय या किराये पर नहीं हुआ। उल्लंघन किया

जाना पाये जाने पर स्वीकृत सहायता कiwjh jkf'k e; C;kt 'kklu ds i{k esa tek d:axkA bl laca/k esa esjs fudV oS/kkfud dk;Zokgh ds fy, ftEesnkj jgqaxkA

उप/सहायक संचालक हाथकरघा जिला हाथकरघा कार्यालय का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

vkosnd cqudj Jh@Jherh----------------------------firk----------------- विकासखण्ड ....जिला....................द्वारा बुनकर वर्कषेड सह आवास सहायता हेत

दी गई जानकारी स्थल निरीक्षका के दौरान सही पाई गई। उक्त हितग्राही को बुनकर वर्कषेड आवासयोजनान्तर्गत राष्िा ....सहायता स्वीकृति की अनुषंसा की जाती है।

---------------------------cqudj lgdkjh lfefr e;kZ- ------ ------------------

का प्रमाण-पत्र

vkosnd cqudj Jh@Jhefr@dq----------------------------firk-------- ---------------------xzke--------....विकासखंड जिला............................द्वारा दी गई जानकारी सही है उक्त आवेदक को बुनकरवर्कषेड सह आवास हेतु हाथकरघा स्वीकृति की अनुषंसा की जाती है।

13. बुनकर वर्कषेड सह आवास योजना के तहत स्वीकृत सहायता राष्िा से सुचना 260 वर्गफीट पक्का आरसी.सी.एफ. भवन निर्मित करने हेतु सहमत है। जिसके वर्कषेड निवास कमरा, किचन टायलेट निर्मित करनwill be.

14. निर्माण की लागत स्वीकृत राष्िा अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त व्यय होने वाली राष्िcqudj@fgrxzkgh Loa; rgr djus gsrq lger gS gka ;k ughasA